झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–1027 वर्ष 2006

1. अली हसन उर्फ सहजाद
2. सजदा खातून उर्फ मज्जा खातून
3. कलीम उर्फ कल्लू
4. आजाद इदरिश .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1.झारखण्ड राज्य
2. रजिया खातून .... विपक्षी पार्टियाँ

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्तागण के लिए :– श्री ए0के0 सहानी, अधिवक्ता।
श्री पंकज वर्मा, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टी–राज्य के लिए:–श्री ए0के0 डे, ए0पी0पी0
श्री संजीव कु0 ठाकुर, अधिवक्ता

06 / 02.01.2023 पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. तत्काल पुनरीक्षण आवेदन विद्वान पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट–III, गुमला द्वारा दिनांक 24.06.2006 को पारित निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा दायर आपराधिक अपील सं0 40 / 2004 को खारिज कर दिया गया और विद्वान

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गुमला द्वारा शिकायत वाद सं0 85/2002, टी0आर0 सं0 387/2004 के तत्सम में पारित दिनांक 28.05.2004 के दोषसिद्धि का निर्णय और सजा के आदेश को पुष्टि किया गया, जिसके तहत सभी याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहरायाा गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत एक साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और आगे याचिकाकर्ता सं0 1 एवं 3 को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत छह महीने के लिए कठोर कारावास से गुजरने का सजा दिया गया और सभी सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने का आदेश दिया गया।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान अंतवर्ती आवेदन सं0 392/2007 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें विरोधी पक्षों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर अभियोजन को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच अंजुमन एत्तेहादुल मुस्लिम जामा मस्जिद रोड, गुमला के समक्ष दिनांक 14.07.2006 को तलाक के लिए उनके द्वारा दायर संयुक्त याचिका के आधार पर समझौता दिनांक 22.07.2006 को किया गया था।

4. पार्टियों के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा कि उपरोक्त समझौते के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी पार्टी सं0 2 को पहले ही 70,000/– रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है और विवाह विच्छेद कर दिया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि तत्काल मामले में घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि को हटाया जा सकता है या कम से कम सजा को पहले से सजा काट चुकी अवधि के लिए संशोधित किया जा सकता है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और समझौता याचिका को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों द्वारा पहले ही आपस में समझौता कर लिया गया है और तलाक भी हो गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी पार्टी सं0 2 को 70,000/– रूपये की एकमुश्त गुजारा भत्ता राशि का भुगतान किया गया है जिसे विपक्षी पार्टी सं0 2 के वकील द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया है।

7. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और निचली अदालतों के रिकॉर्ड सहित आक्षेपित निर्णयों को देखने के बाद और पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और साथ में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे को भी देखते हुए, निचली अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ और इस प्रकार विद्वान विचारण अदालत द्वारा पारित और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए दोषसिद्धि के निर्णय को, इसके द्वारा कायम रखा जाता है।

8. जहाँ तक सजा का संबंध है, अभिलेख से यह स्प्ष्ट है कि यह घटना वर्ष 2002 की है और 20 वर्ष बीत चुके हैं और याचिकाकर्ताओं को इन सभी वर्षों के लिए मुकदमें की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा होगा। इसके अलावा, पक्षों ने पहले ही आपस में समझौता कर लिया है और यहां तक कि तलाक भी हो गया है। इसके अ लावा,

याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी पार्टी सं0 2 को 70,000/– रूपये की एकमुश्त गुजारा भत्ता राशि का भुगतान किया गया है जिसे विपक्षी पार्टी सं0 2 के वकील द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया है।

9. इस प्रकार, मेरी राय है कि याचिकाकर्ताओं को वापस जेल भेजने से कोई भी सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और न्याय का हित पर्याप्त होगा कि निचली अदालत द्वारा पारित और अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सजा को एतद्द्वारा इस हद तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को पहले से ही सजा काट चुकी अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है।

10. केवल उपरोक्त अवलोकन और सजा में संशोधन के साथ, तत्काल आपराधिक संशोधन आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है।

11. याचिकाकर्ताओं को उनके जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

12. इस आदेश की की प्रति को निचली अदालत को भेजा जाए।

13. निचली अदालत के रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित अदालत में भेजा जाए।

(दीपक रोशन, न्याया0)